न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट खोह)

वाद संख्या :— 02 / 320 / 2015

<u>गुरूदयाल बनाम कन्हैया</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 21.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट खोह पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 04.05.2012 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 584, 583, 577, 579, 580, 581, 596, 574, 574 / 2228, 573 / 2277 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.05.2012 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण बाद तामील सूचना के उपस्थिति न्यायालय आये बार बार अवसर दिए जाने के बाद उनकी ओर से जवाब पेश नहीं हुआ है। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2012 से प्रचलन में है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है, जिसको करीब 6 वर्ष का समय हो गया है। अतः प्रकरण काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 584, 583, 577, 579, 580, 581, 596, 574, 574 / 2228, 573 / 2277 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 04.05.2012 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 कैम्प कोर्ट खोह पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट खोह)